

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर 2024 — भाद्रपद 23, शक 1946

गृह (सी—अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 सितम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-164 / गृह-सी / 2012.— यतः, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (क्र. 25 सन् 1946) की धारा 6 के अनुसरण में, समय—समय पर संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराध या अपराधों की श्रेणियाँ, जो कि कथित तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों या केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के उपकरण के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों), के अन्वेषण के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति देती है। यह सहमति इस शर्त के अधीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई अन्वेषण नहीं किया जायेगा। विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-4-164 / गृह-सी / 2012, दिनांक 19-07-2012, 27-07-2012 एवं 19-10-2012 के द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले—दर—मामले के आधार पर दी गई सहमति भी प्रवृत्त रहेंगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. पी. कौशल, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ-4-164 / गृह-सी / 2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-164 / गृह-सी / 2012, रायपुर, दिनांक 09-09-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 9th September 2024

NOTIFICATION

No. F-4-164/Home-C/2012.— Whereas, the Government of Chhattisgarh, in pursuance of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), hereby, gives its Consent to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole State of Chhattisgarh for investigation of the offences or classes of offences notified under Section 3 of the said Act, as amended from time to time, alleged to have been committed by employees of the Central Government, Central Public Sector Undertakings and Private persons (whether acting separately or in conjunction with the employees of Central Government/Central Government Undertakings). Subject however, to the condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the public servants controlled by the Government of Chhattisgarh except with the prior written permission of the State Government. Consent accorded on case to case basis for any other offence by the Departmental Notification No. F-4-164/H.C./2012, dated 19-07-2012, 27-07-2012 and 19-10-2012 shall also remain in force.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.